

॥ कार्यालय जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी ॥

विज्ञप्ति संख्या:- १४ /७-भूलेख/विज्ञप्ति(2015-16) दिनांक अक्टूबर ०८, 2015

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग-1 की स्वीकृति के आधार पर जनपद पौड़ी गढ़वाल में रिक्त 76 राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) एवं रिक्त 04 राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) अभ्यर्थियों का पटवारी तथा लेखपाल प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु चयन किया जाना है। रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है:-

राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी)

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछ़ा वर्ग	अनारक्षित	योग
25	05	10	36	76

राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल)

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछ़ा वर्ग	अनारक्षित	योग
01	-	-	03	04

श्रेणीवार क्षैतिज आरक्षण अद्यतन शासनादेशो के अनुसार अनुमन्य होगा।

निर्धारित प्रारूप पर संलग्नकों सहित आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 10 नवम्बर, 2015 को अपराह्न 5:00 बजे तक है। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय, पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी में अन्तिम तिथि 10 नवम्बर, 2015 तक प्राप्त किये जायेंगे। दिनांक 10 नवम्बर, 2015 के अपराह्न 5:00 बजे के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे। आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क प्राप्त न होने, शैक्षिक योग्यता एवं जाति के समर्थन में अपेक्षित प्रमाण पत्र संलग्न न किये जाने, घोषणा पर हस्ताक्षर न करने एवं अपूर्ण आवेदन पत्र प्रेषित करने पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र एवं अभ्यर्थन निरस्त किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र जमा करने वाले लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या तथा राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी)/लेखपाल पद के प्रशिक्षण के चयन हेतु आवेदन अवश्य लिखा होना चाहिए:-

1. अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो।
2. पटवारी प्रशिक्षण में चयन हेतु अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.07.2015 को 21 वर्ष से कम तथा 28 वर्ष से अधिक न हो तथा लेखपाल प्रशिक्षण में चयन हेतु अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.07.2015 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए नियमानुसार आयु में छूट प्रदान की जायेगी।
3. अभ्यर्थी केवल एक ही पद (पटवारी अथवा लेखपाल) के लिए तथा एक ही जनपद में आवेदन कर सकेगा।
4. अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

३

5. अभ्यर्थी का नाम प्रदेश के किसी भी जनपद के सेवायोजन कार्यालय में विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से पूर्व पंजीकृत होना आवश्यक है, अन्यथा अभ्यर्थी का अर्थर्थन निरस्त समक्षा जायेगा। (पंजीयन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना भी आवश्यक है)।
6. आवेदन शुल्क – सामान्य जाति के अभ्यर्थियों से रुपये 300 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों से रुपये 150 के लिए बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल ऑडर जो जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के नाम देय हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
7. अभ्यर्थी का अर्थर्थन निरस्त किये जाने पर अभ्यर्थी द्वारा कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा तथा अर्थर्थन निरस्त होने के पश्चात् कोई दावा मान्य नहीं होगा।
8. निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा अर्थर्थन निरस्त समझा जायेगा।
9. आवेदन पत्र के साथ सभी पुष्टिकारक शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी हाईस्कूल, इण्टरमीटिडएट एवं स्नातक के सत्यापित प्रमाण पत्र एवं अंक तालिकायें एवं निर्धारित प्रारूप पर जाति प्रमाण पत्र, सेवायोजन पंजीकरण प्रमाण पत्र, सेवायोजक द्वारा आवेदन पत्र यथास्थान अग्रसारित, अधिमानी अर्हता यदि कोई हो, तो उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है।
10. राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी एवं लेखपाल) का वेतनमान 5200–20200 ग्रेड पे 2800 है तथा अंशदायी पेंशन योजना से अच्छादित है।
11. राजस्व अनुसेवकों के राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) के पद पर प्रोन्नति के दृष्टिगत राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) के पद घट बढ़ सकते हैं।
12. उक्त विज्ञप्ति वैवसाइट www.pauri.gov.in पर उपलब्ध है।


जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

आवेदन पत्र

विज्ञप्ति संख्या—

आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि—10 नवम्बर, 2015

1. आवेदित पद का नाम—.....
(उम्मीदवार स्वयं लिखे)

2. आवेदक का नाम— हिन्दी में—
अंग्रेजी में—

पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ, जो
राजपत्रित अधिकारी
द्वारा प्रमाणित किय
गया हो।

3. पिता / पति का नाम—.....
4. निवास स्थान—.....
5. (क) जन्म तिथि— अक्षरों में शब्दों में
(ख) दिनांक 01 जुलाई, 2015 को आयु वर्ष माह दिन
6. मूल एवं स्थाई निवास— ग्राम पोस्ट पटवारी क्षेत्र तहसील
7. पत्र व्यवहार का पता—.....
(पिन कोड सहित)
8. सेवायोजन कार्यालय में पंजीयन संख्या दिनांक कार्यालय का नाम—.....
9. शैक्षिक योग्यता—

क्र०सं०	संस्था का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	श्रेणी	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1. हाईस्कूल						
2. इंटरमीडिएट						
3. स्नातक						
4. अन्य						

10. अभ्यर्थी यदि कोई अधिमानी अहंता धारित करता है ?— हॉ / नहीं
11. अन्य विवरण / अधिमानी अहंता (यदि कोई हो तो तत्सम्बंधी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
12. अभ्यर्थी की श्रेणी— आरक्षित / अनारक्षित—.....
13. जाति— अनुसूचित जाति / जनजाति / पिछ़ड़ा वर्ग / अन्य (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
14. होरिजन्टल आरक्षण—
महिला / भूतपूर्व सैनिक / विकलांग व्यक्ति और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित।
15. यदि अभ्यर्थी किसी सरकारी विभाग में सेवारत हो तो संबंधित विभाग
के विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष / सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन पत्र
अग्रसारित कराया जाना अनिवार्य होगा। सक्षम अधिकारी का इस आशय
का अनापति प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जायेगा कि चयनोपरान्त अवमुक्त
करने में कोई कठिनाई एवं विधिक आपत्ति नहीं होगी।

16. आवेदन शुल्क बैंक ड्राफ्ट / पोस्टल ऑर्डर संख्या दिनांक
धनराशि
17. राष्ट्रीय खेलों में दक्षता प्राप्ति—
(क) राष्ट्रीय स्तर (ख) राज्य स्तर (ग) जिला स्तर (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

अग्रसारित
हस्ताक्षर सक्षम
प्राधिकारी
(कार्यालय की
मुहर)

18. अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित स्थानों पर एवं घोषणा में यथास्थान हस्ताक्षर न किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त समक्षा जायेगा।

हस्ताक्षर

(आवेदक का पूरा नाम)

घोषणा

उपरोक्त आवेदन पत्र में अंकित समस्त सूचनाए मेरी जानकारी एवं विश्वास से सही एवं सत्य है। कोई प्रविष्टि अस्पष्ट, अपूर्ण, भ्रामक एवं त्रुटिपूर्ण होने अथवा असत्य पाये जाने की दशा में मुझे चयन प्रक्रिया से वंचित किया जायेगा, इस संबंध में मेरा कोई प्रत्यावेदन मान्य नहीं होगा तथा आवेदक का अभ्यर्थन त्रुटिपूर्ण सूचना दिये जाने के कारण निरस्त किया जायेगा एवं सक्षम न्यायालय द्वारा भी दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

हस्ताक्षर

(आवेदक का पूरा नाम)

प्रवेश पत्र

अनुक्रमांक.....

पासपोर्ट साईज
फोटो चिपकायें

श्री / श्रीमती / कु0.....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री.....
.....निवासी ग्राम.....पटवारी वृत्त.....तहसील.....
जिला.....उत्तराखण्ड को दिनांक 27 दिसम्बर, 2015 को पूर्वाहन् 10:00 बजे
से अपराह्न 1:00 बजे तक परीक्षा केन्द्र.....में पटवारी अथवा
लेखपाल के रिक्त पदों के प्रशिक्षण हेतु सम्पन्न होने वाली प्रतियोगितात्मक परीक्षा में सम्मिलित
होने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

पटवारी तथा लेखपाल प्रशिक्षण चयन हेतु अभ्यर्थियों के लिए निर्देश:-

1. आवेदन पत्र के साथ रूपये 5.00 के टिकट लगे हुए आवेदक के स्वयं के पते लिखे हुए तीन लिफाफे तथा एक पोस्टकार्ड संलग्न करना आवश्यक है।
2. चयन परीक्षा की प्रक्रिया के संबंध में जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
3. अभ्यर्थी का चयन होने पर पटवारी प्रशिक्षण एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा में एक वर्ष का प्रशिक्षण स्वयं के व्यय पर प्राप्त करना होगा।
4. आवेदन पत्र दिनांक 10 नवम्बर, 2015 को अपराह्न 5:00 बजे तक केवल पंजीकृत डाक से आवेदित जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त हो जाने चाहिए। उक्त तिथि तथा समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा।
5. आवेदन पत्र में निर्धारित स्थानों पर नवीनतम पासपोर्ट साईज के फोटो चस्पा किये जायं, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हों।
6. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा हॉल/कक्ष में प्रवेश पत्र एवं दो पैन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की पैंसिल पाठ्य सामग्री मुद्रित या कागज की प्रतियां, पेजर, मोबाइल, कैलकुलेटर, टैबलेट एवं अन्य आधुनिकतम इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या किसी अन्य प्रकार की समग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
7. एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र पाये जाने पर सभी आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।
8. अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण, अस्पष्ट, भ्रामक एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र तथा ऐसे आवेदन पत्र जिस पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर नहीं है, समयान्तर्गत प्राप्त होने के बावजूद भी सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिये जायेंगे। डाक द्वारा विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के लिए जिलाधिकारी कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा तथा अन्तिम तिथि को निर्धारित समय के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा।
9. आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात जांच में अपूर्ण, असत्य एवं भ्रामक प्रविष्टियां प्रथम दृष्ट्या निरस्त किये जायेंगे।
10. उक्त पदों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए हाईस्कूल तथा अन्य समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। आवेदक द्वारा जन्मतिथि की पुष्टि हेतु हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
11. अनुचित साधनों के प्रयोग एवं परीक्षा भवन में दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जायेगा तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन भी निरस्त कर दिया जायेगा।
12. राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) तथा (लेखपाल) के प्रशिक्षण हेतु चयन परीक्षा दो चरणों में शारीरिक दक्षता एवं लिखित परीक्षा के रूप में आहूत की जायेगी।
13. राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) तथा (लेखपाल) के प्रशिक्षण हेतु शारीरिक दक्षता में पुरुष अभ्यर्थी को 60 मिनट में 10 किलोमीटर तथा महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 05 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक होगा।
14. राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) के चयन हेतु शारीरिक मानक पुरुष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊँचाई 168 सेमी० व महिला अभ्यर्थियों के लिये 152 सेमी० अनिवार्य होगा। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 05 सेमी० की छूट अनुमन्य होगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिये सीना फुलाव के साथ 84 सेमी०, जिसमें न्यूनतम 05 सेमी० का फुलाव अनिवार्य होगा। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 05 सेमी० की छूट अनुमन्य होगी। महिला अभ्यर्थियों का वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम होना चाहिए। (उक्त छूट के लिये पर्वतीय क्षेत्र के निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।)
15. शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मानकों में सफल होने पर ही अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में भाग ले सकेंगे।
16. उक्त परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकृति की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति अपनाई जायेगी। उम्मीदवार द्वारा दिये गये प्रत्येक गलत उत्तर के लिए या उम्मीदवार द्वारा एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए, (चाहे दिये गये उत्त में से एक सही ही क्यों न हो) उस प्रश्न के लिए दिये जाने वाले अंकों का एक चौथाई ऋणात्मक अंक दिया जायेगा। ओ००८०आर० उत्तर पत्रक पर एक वृत्त को ही पूरी तरह नीले/काले बॉल पैन से भरें। एक बाद उत्तर अंकित करने के बाद उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।
17. परीक्षार्थी यह सुनिश्चित करेंगे की उत्तर पत्रक को मोड़ा नहीं जायेगा और उस कोई अन्य निशान लगाये नहीं जायेंगे। परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक तथा केन्द्र का नाम एवं अन्य प्रविष्टियां उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र न लिखें।

३

18. परीक्षा प्रश्न पुस्तिका(बुकलेट) एवं उत्तर पत्रक का ध्यानपूर्वक प्रयोग करें, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में (केवल परीक्षा प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक की संख्या में भिन्नता की स्थिति को छोड़कर) दूसरी उत्तर पुस्तिका उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।

✓
जिलाधिकारी,
गढ़वाल।